61/22 रौनक vs सरकार (2022/521)

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष टि
	6.5.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. का दौरे/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13.5.25 को पेश हो।	
	13/05/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रकरण में बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/05/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	28/05/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13/06/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	13/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 27/06/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	27/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं पूर्व बहस पर मनन पश्चात वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

रौनक बनाम रुकमणी

वाद संख्या 61/22

(2022/521)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो यह निर्णय आज दिनांक 27/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्याः— 61 / 2022 जी.सी.एम.एस नं0 2022 / 521

1. शैनक शर्मा आयु 12 वर्ष पुत्री ओमप्रकाश, पौत्री रामकिशन
2. भूपेश शर्मा आयु 4 वर्ष, पुत्र ओमप्रकाश, पौत्र रामकिशन,

नबालिग जरिये सरंक्षिका माता सुमन शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगणः—

बनाम्

1. रूकमणी पत्नी रामकिशन (नाम हजफ)
2. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन
3. पवन पुत्र रामकिशन
4. राकेश पुत्र रामकिशन
5. सन्तोष पुत्री रामकिशन

   समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
6. इलाहबाद बैंक शाखा बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीगणः—

9. कमला देवी पत्नी स्व0 रामभगत उर्फ रामभजन
10. लाली देवी पुत्री रामभगत उर्फ रामभजन
11. मदनलाल पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन
12. राधामोहन पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन
13. ीयाराम पुत्र नृसिंहदास
14. ेम पुत्री नृसिंहदास
15. रतन पुत्री नृसिंहदास
16. रामनारायण पुत्र नृसिंहदास
17. ामप्रसाद पुत्र नृसिंहदास
18. ेमला पुत्री नृसिंहदास
19. मजीलाल पुत्र मुरलीधर
20. ाबालिग इशिका पुत्री सुरेश संरक्षक माता मनीषा
21. नीषा पत्नी स्व0 सुरेश
22. जश्विन पुत्री सुरेश
23. यप्रकाश पुत्र नरेन्द्र
24. पन पुत्र नरेन्द्र
25. ोष देवी पुत्री नरेन्द्र
26. जराम पुत्र मूलचन्द
27. नगराम पुत्र मूलचन्द
28. साराम पुत्र मूलचन्द
29. रासहाय पुत्र मूलचन्द
30. प्रकाश पत्र लाडलीलाल

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

32. रामअवतार पुत्र लाडलीलाल
33. सुशीला पुत्री लाडलीलाल
34. मुन्नी देवी पुत्री रामस्वरूप
35. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप
36. रूपनारायण पुत्र हुकमदास
37. राधेश्याम पुत्र हुकमदास
38. घनश्याम पुत्र हुकमदास
39. सत्यप्रकाश पुत्र गंगाबक्स
40. रामा देवी पत्नी रामजीलाल

समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

41. अनामीका सिंह पत्नी अमित सिंह जाति राजपूत निवासी एल.31 इनकमटेक्स कॉलोनी टोंक रोड जयपुर।
42. मनोरमा जैन पत्नी कंवरपाल जाति जैन, निवासी 30, इन्द्रप्रस्थ रामनगर सोडाला जयपुर।
43. ए.आर.जी हाऊसिंह प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक अशोक खण्डेलवाल निवासी ई–52 सैकण्ड फ्लोर चितरंजन मार्ग सी–स्कीम जयपुर।
44. उम्मेद सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।

–: तरतीबी प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री सुरेश शर्मा, एड0 वादीगण।
श्री अरविन्द गुप्ता, एड0 प्रतिवादी संख्या 42

–:निर्णय:– दिनांक:– 27/06/2025

1. आज यह दावा बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 9 लगायत 40 हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्व0 रामकिशन निवासी हीरावाला की सन्तान एवं पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पौत्र एवं पौत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के पुत्र व पुत्री है, जो नाबालिग अवस्था में होने के कारण अपनी माता के जरिये यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादीगण के पड़दादा मुरलीधर की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 22 खसरा नम्बर 38 रकबा 2.8831 है0 व खाता संख्या नया 19 पुराना 17 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0885 है0, व खाता संख्या नया 2 पुराना 3 खसरा नम्बर 17 रकवा 0.0506 है0, व खाता संख्या नया 23 पुराना 21 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.5427 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 16 पुराना 14 खसरा नम्बर 34 रकबा 1.1507 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 18 पुराना 16 खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 1771 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ स्वामी, पटवार हल्का रामरतनपुरा, भूअभि.नि.क्षैत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही थी। खसरा नम्बर 34 में हिस्सा 7/90 वादीगण की दादाजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। खसरा नम्बर 17

उपखण्ड अधिकारी

हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 33 में हिस्सा 1/16, खसरा नम्बर 36 व 4 में हिस्सा 1/8
वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता
रामकिशन पुत्र मुरलीधर एवं खसरा नम्बर 9 व खसरा नम्बर 38 में प्रतिवादी संख्या 1
लगायत 5 प्रत्येक के नाम हिस्सा 1/10 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है एवं
वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता
रामकिशन पुत्र मुरलीधर का स्वर्गवास वादीगण के पड़दादा मुरलीधर से पहले हो गया था
वादीगण के पड़दादा मुरलीधर के स्वर्गवास हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरण
वादीगण के दादा रामकिशन के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण की दादी के नाम
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व
प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व खसरा नम्बर 36, 4, 17, 33 में वादीगण के दादा व
प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता रामकिशन पुत्र
मुरलीधर के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है व शेष प्रतिवादी संख्या 9
लगायत 44 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार दर्ज चली
आ रही है। जमाबन्दी की प्रतियां वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी
संख्या 9 लगायत 44 के हिस्से से कोई विवाद नहीं है न उनके विरुद्ध कोई अनुतोष
चाहा गया वरं 10 है मात्र सहहिस्सेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से आवश्यक पक्ष
ही पक्षकार बनाया गया है। भूमि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पड़दादा एवं प्रतिवादी संख्या
1 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के दादा मुरलीधर से प्रतिवादी संख्या 1
पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता का स्वर्गवास मुरलीधर से पहले हो
कारण एवं उसके पश्चात वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण की दादी व प्रतिवादी
संख्या 2 लगायत 5 को जरिये विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि पैतृक
भूमि है जिसमें वादीगण के जन्म से हित व अधिकार निहित चले आ रहे है। वादीगण
अपनी माता व स्व० दादा, प्रतिवादी संख्या 1 दादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के
साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास कर भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 9, 38, 36, 4, 17,
33, 34 पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा आज दिनांक
को वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि वादग्रस्त पैतृक एवं हिन्दू
परिवार की कॉपार्सनरी भूमि होने के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि के कानूनन संयुक्त
खातेदार है तथा भूमि वादग्रस्त में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 व उनके दादा
रामकिशन के नाम दर्ज हिस्से में से विरासत में प्राप्त होने वाले कानूनन अपने हिस्से जन्म
से निहित चले आ रहे है अर्थात वादीगण का ज्योंही प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या
2 लगायत 5 के परिवार में जन्म हुआ त्योंही वादीगण के बाई बर्थ राईट भूमि वादग्रस्त में
सृजित हो गये तथा पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकारी
अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 भूमि वादग्रस्त प्रतिवादी
संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के हिस्से में से अपने कानूनन हिस्से के

पीठासीन अधिकारी
[illegible] (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ातेदार काश्तकार हो गये। भूमि वादग्रस्त की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी
अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता है, के नाम दर्ज
कार्ड है प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण की दादी है जो वादीगण की पैतृक भूमि को बेचान
र खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है।
तिवादी संख्या 1 को ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नही है कि वह भूमि वादग्रस्त का
क्रय करे, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 अपने अनैतिक कार्यो की
र्ति हेतु भूमि वादग्रस्त पैतृक भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण
वैध रूप से विक्रय करने पर आमादा है। वादीगण भूमि वादग्रस्त में काश्त कर व अपनी
ाता के साथ वादग्रस्त भूमि में बने हुये पुख्ता निर्माणात मकान मे निवास कर जीवन
ापन करते है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 5 अवैधानिक रूप से वादीगण की
ैतृक व हित अधिकार की भूमि खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा है जिसका उन्हे
कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 26/11/2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व
2 लगायत 5 भूमि वादग्रस्त पर कुछ भूमि कारोबारियों को लेकर विक्रय हेतु दिखाने लाये
तथा वादग्रस्त भूमि की नाप जोक व मकान की नाप जोक की कार्यवाही करने लगे तो
वादीगण की माता ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान करने व
खुर्द बुर्द करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 5 नाराज हो गये तथा
ऐलानियां कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि मेरे व हमारी मम्मी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम
राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है हमने उपरोक्त भूमि को विक्रय हेतु दिखा दिया है तथा
जल्द ही बेचान करके रहेगें इस पर वादीगण की माता ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि
उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण के हक व अधिकार निहित है तथा आप अपने
हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नही कर सकते इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5
अत्यधिक नाराज हो गये तथा पुनः ऐलानियां यह कहा कि हम भूमि वादग्रस्त का विक्रय
दिगर लोगो को करके रहेगें तुम्हे जो करना है सो कर लो। यदि प्रतिवादी संख्या 1
लगायत 5 अपने अवैध उद्देश्य में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी
जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही है। वाद कारण वादीगण को दिनांक
26/11/2022 की घटना से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमि ग्राम
बाढस्वामी, पटवार हल्का रामरतनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित होने से
माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र को सुनवाई कर न्याय निर्णयन करने का क्षेत्राधिकार
प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बाबत् घोषणा स्वीकार
कर डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण के पडदादा मुरलीधर की खातेदारी एवं काश्त की
भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 22 खसरा नम्बर 38 रकबा 2.8831 हैक्टेयर, व खाता
संख्या नया 19 पुराना 17 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया
2 पुराना 3 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 23 पुराना 21
खसरा नम्बर 9 रकबा 1.5427 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 16 पुराना 14 खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

34 रकबा 1.1507 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 18 पुराना 16 खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1771 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ स्वामी, पटवार हल्का रामरतनपुरा, भूअभि.नि. क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही थी। खसरा नम्बर 34 में हिस्सा 1/90 वादीगण की दादाजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड "जमाबन्दी में दर्ज है। खसरा नम्बर 17 में हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 33 में हिस्सा 1/16, खसरा नम्बर 36 व 4 में हिस्सा 1/4 वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता रामकिशन पुत्र मुरलीधर एवं खसरा नम्बर 9 व खसरा नम्बर 38 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक के नाम हिस्सा 1/120 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से में से वादीगण का कानूनन हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे एवं डिक्री के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त "कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार बस्सी को प्रदान किये जाने एवं वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन डिक्री फरमाया जाने तथा तहसीलदार बस्सी को आदेश प्रदान किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन वादीगण के पुख्ता मकान, निर्माण कब्जा के आधार पर कर वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि का पर्चा खातेदारी व लगान पृथक से कायम कर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 42 के अधिवक्ता जवाबतन वकालतन उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 रूकमणी पत्नी रामकिशन के फौतगी होने पर पूर्व से उसके कानूनी वारिसान रिकॉर्ड पर होने से प्रार्थना पत्र नाम हजफ स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 41, 43 व 44 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तनकी कायम की जाकर वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र एवं वादी के साक्ष्य के समर्थन में साक्षी पेश के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। कई अवसरों के बावजूद प्रतिवादी संख्या 42 द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की वादपत्र पर बहस सुनी गई।

मैंनें पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर भूमि वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं हिन्दू परिवार की कॉपार्सनरी भूमि होने के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि के कानूनन संयुक्त खातेदार होने से वादीगण के पडदादा मुरलीधर की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खाता संख्या नया 24 पुराना 22 खसरा नम्बर 38 रकबा 2.8831 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 19 पुराना 17 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 2 पुराना 3 खसरा नम्बर 17

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

रकबा 0.0506 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 23 पुराना 21 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.5427 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 16 पुराना 14 खसरा नम्बर 34 रकबा 1.1507 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 18 पुराना 16 खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1771 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ स्वामी, पटवार हल्का रामरतनपुरा, भूअभि.नि. क्षैत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। वर्तमान में वादीगण की दादीजी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की माताजी प्रतिवादी संख्या 1 के दौराने दावा फौत हो जाने एवं पिताजी पूर्व में ही फौत होने से प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति रामकिशन पुत्र मुरलीधर के स्थान पर उक्त वादग्रस्त में से वादीगण, प्रतिवादी 2 की संतान होने पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में से वादीगण को पैतृक भूमि में हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होने से उक्त वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाढस्वामी प.ह. रामरतनपुरा में खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 34 रकबा 1.1507 हैक्टेयर में खातेदार रूकमणी देवी पत्नी रामकिशन हिस्सा 7/90 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 7/360 – 7/360 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 7/1080 – 7/1080 का, खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.5427 हैक्टेयर में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/288 – 1/288 का, खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 38 रकबा 2.8831 हैक्टेयर खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/288 – 1/288 का, खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0506 है0 व खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1771 हैक्टेयर में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/64 – 1/64 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/192 – 1/192 का, खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0506 है0 में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/8 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/32 – 1/32 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 का, खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0885 है0 में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/64 – 1/64 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/192 – 1/192 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को वादीगण की खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित पाते है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश है कि

दावा वादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाढरवामी प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी में खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 34 रकबा 1.1507 हैक्टेयर में खातेदार रूकमणी देवी पत्नी रामकिशन हिस्सा 7/90 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 7/360 – 7/360 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 7/1080 – 7/1080 का, खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.5427 हैक्टेयर में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/288 – 1/288 का, खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 38 रकबा 2.8831 हैक्टेयर खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/288 – 1/288 का, खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0506 है0 व खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1771 हैक्टेयर में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/64 – 1/64 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/192 – 1/192 का, खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0506 है0 में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/8 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/32 – 1/32 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 का, खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0885 है0 में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/64 – 1/64 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/192 – 1/192 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को वादीगण की खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद की कार्यवाही करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीगण

दैनक शर्मा आयु 12 वर्ष पुत्री ओमप्रकाश, पौत्री रामकिशन
भूपेश शर्मा आयु 4 वर्ष, पुत्र ओमप्रकाश, पौत्र रामकिशन,
नबालिग जरिये सरंक्षिका माता सुमन शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. रूकमणी पत्नी रामकिशन (नाम हजफ)
2. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन
3. पवन पुत्र रामकिशन
4. राकेश पुत्र रामकिशन
5. सन्तोष पुत्री रामकिशन
   समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
6. इलाहबाद बैंक शाखा बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—तरतीबी प्रतिवादीगणः—

9. कमला देवी पत्नी स्व0 रामभगत उर्फ रामभजन
10. लाली देवी पुत्री रामभगत उर्फ रामभजन
11. मदनलाल पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन
12. राधामोहन पुत्र रामभगत उर्फ रामभजन
13. सीयाराम पुत्र नृसिंहदास
14. प्रेम पुत्री नृसिंहदास
15. रतन पुत्री नृसिंहदास
16. रामनारायण पुत्र नृसिंहदास
17. रामप्रसाद पुत्र नृसिंहदास
18. विमला पुत्री नृसिंहदास
19. रामजीलाल पुत्र मुरलीधर
20. नाबालिग इशिका पुत्री सुरेश संरक्षक माता मनीषा
21. मनीषा पत्नी स्व0 सुरेश
22. तेजस्विन पुत्री सुरेश
23. जयप्रकाश पुत्र नरेन्द्र
24. पवन पुत्र नरेन्द्र
25. संतोष देवी पुत्री नरेन्द्र
26. जयराम पुत्र मूलचन्द
27. नानगराम पुत्र मूलचन्द
28. सीताराम पुत्र मूलचन्द
29. रामसहाय पुत्र मूलचन्द
30. पूरणप्रकाश पुत्र लाडलीलाल
31. प्रेम कुमारी पत्नी स्व0 लाडलीलाल
32. रामअवतार पुत्र लाडलीलाल
33. सुशीला पुत्री लाडलीलाल
34. मुन्नी देवी पुत्री रामस्वरूप
35. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप
36. रूपनारायण पुत्र हुकमदास
37. राधेश्याम पुत्र हुकमदास
38. घनश्याम पुत्र हुकमदास
39. सत्यप्रकाश पुत्र गंगाबक्स
40. रामा देवी पत्नी रामजीलाल
    समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
41. अनामीका सिंह पत्नी अमित सिंह जाति राजपूत निवासी एल.31 इनकमटेक्स कॉलोनी टोंक रोड जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

42. मनोरमा जैन पत्नी कंवरपाल जाति जैन, निवासी 30, इन्द्रप्रस्थ रामनगर सोडाला जयपुर।
43. ए.आर.जी हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक अशोक खण्डेलवाल निवासी ई–52 सैकण्ड फ्लोर चितरंजन मार्ग सी–स्कीम जयपुर।
44. उम्मेद सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।

दावा बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री सुरेश शर्मा, एड0 वादीगण।
श्री अरविन्द गुप्ता, एड0 प्रतिवादी संख्या 42

पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 61 / 2022

जी.सी.एम.एस. न0 2022 / 521

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे .... वादीगण व .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाढस्वामी प.ह. रामरतनपुरा तहसील बस्सी में खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 34 रकबा 1.1507 हैक्टेयर में खातेदार रूकमणी देवी पत्नी रामकिशन हिस्सा 7/90 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 7/360 – 7/360 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 7/1080 – 7/1080 का, खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.5427 हैक्टेयर मे खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/288 – 1/288 का, खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 38 रकबा 2.8831 हैक्टेयर खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/288 – 1/288 का, खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0506 है0 व खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1771 हैक्टेयर में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/64 – 1/64 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/192 – 1/192 का, खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0506 है0 में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/8 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/32 – 1/32 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/96 – 1/96 का, खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0885 है0 में खातेदार रामकिशन पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/64 – 1/64 एवं वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/192 – 1/192 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को वादीगण की खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद की कार्यवाही करे। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद की कार्यवाही करे। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner